उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिनांक 04.11.03 को एफ0आर0डी0सी0 सभागार में सम्पन्न हुई द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त

उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की द्वितीय बोर्ड बैठक दिनांक 04.11.03 को प्रातः 11.00 बजे सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त परिसर स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न हुई । निम्नलिखित सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया :–

1. श्री बी.पी. पाण्डे, अध्यक्ष, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।
2. श्री एम.एम. हरबोला, प्रमुख वन संरक्षक, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल
3. श्री सी.वी.एस. नेगी, सदस्य सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून
4. श्री पराग गुप्ता, अपर सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
5. श्री डी.के. गुप्ता, अपर सचिव, नगर विकास, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
6. श्री ललित मोहन पन्त, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
7. श्री रविन्द्र गोडबोले, सचिव, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
8. श्री के.सी. जुयाल, वरिष्ठ नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून ।
9. डा0 ए.के. त्यागी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका, हरिद्वार ।
10. डा0 किरन कुमारी, अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तरांचल, देहरादून ।
11. श्री स्वराज गांगुली, नगर नियोजक, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार ।
12. श्री डी.के. गुप्ता, प्रबन्धक अप्रैजल, उत्तरांचल जल निगम, देहरादून ।
13. श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, उत्तरांचल चैम्बर्स ऑफ कामर्स, देहरादून ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं बोर्ड के सदस्यों का स्वागत किया गया और बोर्ड बैठक के औचित्य एवं एजेण्डा के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी बैठक में उपस्थित सदस्यों को दी गयी । सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डा0 आर.एस. टोलिया एवं पूर्व अंशकालिक सदस्य सचिव श्री अशोक पई एवं श्री गंभीर सिंह द्वारा बोर्ड हित में किये गये कार्यों की प्रशंसा की गयी एवं उनके योगदान की सराहना की गयी । सभी उपस्थित सदस्यों के परिचय के पश्चात् सदस्य सचिव ने बोर्ड द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया ।

तदोपरान्त बैठक की कार्यसूची के अनुसार निम्न निर्णय लिये गये :–

कार्यसूची संख्या	विषय	निर्णय
1.	प्रथम बैठक की अनुपालन आख्या	सभी सदस्यों द्वारा प्रथम बैठक की अनुपालन आख्या को सहमति दी गयी । बोर्ड सदस्यों द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि भविष्य में बोर्ड बैठक में बोर्ड द्वारा किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों का विस्तृत विवरण बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

8/11

	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम), 1974 के अंतर्गत नियमों की स्वीकृति ।	उत्तरांचल जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 2003 को बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् उत्तरांचल शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये ।
3.	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम), 1981 के अंतर्गत नियमों की स्वीकृति ।	उत्तरांचल वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 2003 को बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् उत्तरांचल शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये ।
4.	उद्योगों से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति हेतु बैंक गारंटी ।	उद्योगों से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति हेतु केवल 17 श्रेणी के उद्योगों से बैंक गारंटी प्राप्त की जाये ।
5.	उद्योगों को सहमति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु अधिकारों का निर्धारण ।	प्रस्ताव इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि लघु उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैद्यता 02 वर्ष की जाये ।
6.	परामर्शी सेवाओं के लिये वित्तीय अधिकार का प्रतिनिधायन ।	बोर्ड में तकनीकी कार्यों के लिये परामर्शी सेवाओं हेतु अध्यक्ष को रू0 20 लाख तक के व्यय के लिये अधिकृत किया गया ।
7.	उत्तरांचल राज्य की स्टेट ऑफ इन्वायरन्मेंट रिपोर्ट आई.डी.एफ.सी. से तैयार कराने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि बोर्ड के समस्त सदस्यों को 15 दिन का समय देते हुए इन्सेप्शन रिपोर्ट पर आख्या प्राप्त करने के पश्चात् ही आई.डी.एफ.सी. को रू0 2.60 लाख का भुगतान किया जाये ।
8.	मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।	भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत अनापत्ति आवेदन पत्र को सरलीकृत किया जाये । सरलीकृत आवेदन पत्र को अध्यक्ष से अनुमोदन के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तरांचल शासन को अनुरोध किया जाये कि इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय से पुनर्विचार हेतु कार्यवाही करें ।
9.	बोर्ड का प्रशासनिक ढांचा, बोर्ड में पर्यावरण संरक्षण अनुभाग के लिये पदों का सृजन, उपकर अनुभाग का गठन, नये क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने एवं पदों के सृजन के सम्बन्ध	बोर्ड का प्रशासनिक ढांचा इस आशय के साथ स्वीकृत किया गया कि उत्तरांचल शासन को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाये ।

में।

10.	बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता एवं वाहन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में ।	बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि केवल उन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रू0 2500.00 का भुगतान किया जाये जिनका वेतनमान अधिकतम रू0 10500.00 तक हो । वाहन भत्ता उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुरूप ही स्वीकृत किया गया ।
11.	सदस्य सचिव के वेतन एवं भत्तों के संरक्षण के सम्बन्ध में ।	सदस्य सचिव के वेतन हानि की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में निर्णय वित्त विभाग की संस्तुति के अनुसार किया जाये ।
12.	बोर्ड में रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति के सम्बन्ध में ।	बोर्ड द्वारा रिक्त पदों को निर्धारित वेतनमान में प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की अनुमति प्रदान की गयी । बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि इन पदों पर भर्ती उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सेवा नियमावली में निर्धारित अर्हता के अनुसार ही की जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड की सेवा नियमावली बोर्ड की अगली बैठक से पूर्व तैयार कर ली जाये ।
13.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय। (क) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिकारों का प्रतिनिधायन ।	विभिन्न नियमों के अंतर्गत सदस्य सचिव को प्राधिकार पर निर्णय लेने एवं तत्सम्बन्धी कार्यवाही के लिये अधिकृत किया गया । जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 1998 यथा संशोधित के अंतर्गत 50 शैय्याओं से कम के चिकित्सालयों के लिये प्राधिकार पर निर्णय लेने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को अधिकृत किया गया । पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत कार्यवाही पूर्वानुसार बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन से ही की जायेगी ।

अंत में सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय व उपस्थित समस्त बोर्ड सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय की सहमति से बैठक का समापन किया गया ।

8/11/2003

(सी.वी.एस. नेगी)
सदस्य सचिव,
उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून ।

10/11/2003

(बी.पी. पाण्डे)
अध्यक्ष,
उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून ।